

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया  
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 06/2021

1. कैलाश चंद पुत्र रामधन जाति माली निवासी अंछापुरा तहसील महवा जिला दौसा ।

... अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा ।



...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 22.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कैलाश मु०नं० 11/2021 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट ।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र सैनी, अधिवक्ता अपीलांत  
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 29.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने दिनांक 22.02.2021 को ग्राम अन्छापुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.01 है० पर शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कर एवं खसरा नंबर 1080 रकबा 0.14 है० पर गेहूँ व 0.06 है. भूमि पर कब्जाकर अतिचार करने पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का हडिया ने अपीलांत के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांत ने ग्राम अन्छापुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.01 है० पर शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कर एवं खसरा नंबर 1080 रकबा 0.14 है० पर गेहूँ व 0.06 है. पर कब्जा अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलांत द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काशत नहीं की गई है। अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को जवाब पेश करने हेतु उचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुए बिना और पटवारी से जिरह का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई सबूत भी नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति पर अपीलांत के पुत्र के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांत बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है।

इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर संवत् 2077 में खसरा नंबर 1062 रकबा 0.01 है0 पर शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कर एवं खसरा नंबर 1080 रकबा 0.14 है0 पर गेहूँ व 0.06 है। पर कब्जा करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2021 में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

